राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक निगरानी याचिका संख्या 1341/2007

ललित कुमार व अन्य **बनाम** राजस्थान राज्य।

आदेश दिनांक : 30 जनवरी,2009

उपस्थित

माननीय न्यायाधिपति श्री महेशचन्द्र शर्मा

श्री सुमेरसिंह अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण उप0

सर्वश्री हेमन्त शर्मा एवं परेश चौधरी अधिवक्तागण वास्ते विपक्षी संख्या 2 उप0

श्री हरि बारठ लोक अभियोजक वास्ते राजस्थान राज्य उप0

1- यह निगरानी याचिका, अपर सैशन न्यायाधीश, क्रम संख्या-2, सीकर के आदेश दिनांक 26/11/2007 के विरुद्व प्रस्तुत की गयी है, जिसमें कि प्रार्थी-अभियुक्तगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 ए, 304 बी एवं 406 के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

2- संक्षेप में प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी प्रेमप्रकाश (अप्रार्थी संख्या 2) ने एक परिवाद पत्र अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

फतेहपुर, जिला-सीकर के समक्ष पेश किया। उस परिवाद पत्र को दण्डनायक महोदय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत संबंधित पुलिस स्टेशन के भार साधक अधिकारी को अनुसंधान करने के लिये भिजवाया। संबंधित भार साधक अधिकारी ने दिनांक 20/10/06 को प्रार्थी-अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 181/06 में मुकदमा अन्तर्गत धारा 498 ए, 304 बी, 406 एवं 390 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीबद्व किया गया। अनुसंधान के बाद पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 ए, 304बी एवं 406 के तहत आरोप पत्र संबंधित दण्डनायक के समक्ष प्रस्तुत किया।

3- तत्पश्चात दण्डनायक महोदय ने उक्त प्रकरण को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 209 के तहत जिला एवं सैशन न्यायाधीश को कमिट किया और जहां से यह प्रकरण विचारण हेतु अपर सैशन न्यायाधीश, क्रम संख्या-2, सीकर के समक्ष पेश किया गया। इसपर विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 26/11/2007 के माध्यम से उपरोक्त धाराओं में प्रार्थी-अभियुक्तगण के विरुद्व आरोप विरचित किये जाने का आदेश दिया। इसी आदेश के विरुद्व यह निगरानी याचिका पेश की गयी है।

4- मैनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों को सुना एवं आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अनुशीलन किया।

5- प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह ने न्यायालय का ध्यान इस निगरानी याचिका के साथ संलग्न उपाबंध-3 डॉ0 जी.आर.सिंघवी के बयान की ओर आकर्षित किया जिसमें कि उनका यह कथन था कि दिनांक 8/5/2006 को श्रीमति विशाखा गोस्वामी को सन्तोकबा दुर्लभजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। वह S.L.E.(Systemic Lupus erythematasus) नामक बीमारी से पीडित थी। वह तकरीबन 1 माह हॉस्पिटल में रही थी जिसका उनकी देख रेख मे ईलाज हुआ था। जिसको मेडिकल K4 में रखा गया था। दिनांक 10/6/06 को S.L.E.बीमारी के कारण इन्फेक्शन हो जाने से उसकी मृत्यु हो गई थी। उनका यह भी कथन है कि डॉक्टर ने अपने बयान में यह अभिकथित किया है कि यह बीमारी किस कारण से होती है, कोई नहीं जानता। इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इस तरह काम करने लग जाती है कि अपने ही शरीर के टिस्सु को नष्ट करने लग जाती है तथा अपने ही शरीर को दूसरा समझ कर काम करने लग जाती है। यह बीमारी 90 प्रतिशत औरतों में होती है और वह भी बचपन में अधिक होती है। इस बीमारी के कारण शरीर का एक अंग भी प्रभावित हो सकता है और एक साथ शरीर के कई अंगों को भी अपनी चपेट में ले सकती है। इस बीमारी में व्यक्ति को थकावट रहती है, भूख कम हो जाती है, जोडो में दर्द, खून की कमी, खून में सेल्स की कमी, वजन कम होना, थकावट आदि महसूस होती है। यह बीमारी मानसिक प्रताडना या भूखा रखने से होती हो इस बारे में डॉक्टर ने कहा कि वह कुछ नहीं कह सकता। इस बीमारी का कोई स्थायी ईलाज नहीं है। इस निगरानी याचिका में प्रस्तुत उपाबंध-4 में बताया गया है कि cardiac arrest हृदय गति रुक जाने के कारण है। उन्होंने

अपने मत के समर्थन में निम्नलिखित विधिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं :-

1- Appasaheb and another vs. State of Maharashtra [(2007)9 S.C.C.721]
2- Bhagirath & Ors. vs. State [1999 Cr.L.R.(Raj.) 105]
3-Bhagwan Das vs. Kartar Singh & Ors. [2007(2)W.L.C.(SC) Criminal 398]
4- Kunhiabdulla and another vs.State of Kerala [AIR2004 S.C.1731]

6- इसके विपरीत विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्तागण सर्वश्री हेमन्त शर्मा एवं परेश चौधरी तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री हरि बारठ ने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह की बहस का घोर विरोध किया। उनका यह कथन है कि यह चार्ज की स्टेज है और इस स्टेज पर यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि मृतका की मृत्यु का कारण वास्तव में क्या था और उनका यह भी कथन है कि उपाबन्ध-3 जो कि प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस का मूल दस्तावेज रहा है, उसमें यह भी अभिकथित किया गया है कि यह बीमारी मानसिक प्रताडना या भूखा रखने से हो सकती हो, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उनका यह भी कथन है कि मृतका की मृत्यु शादी के एक वर्ष पश्चात हो गयी थी और इस बीमारी का कारण भी उसको भूखा रखना या मानसिक प्रताडना देना है। उन्होंने इस न्यायालय द्वारा, एकल पीठ दाण्डिक निगरानी याचिका संख्या 1282/2003, ओमप्रकाश व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 2/1/2009 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया।

इसी प्रकार उन्होंने 2001 क्रिमीनल लॉ जर्नल 1723 ओमवती बनाम स्टेट थ्रू देहली एडमिनिस्ट्रेशन व अन्य के मामलें में दिये गये निर्णय के पैरा 12 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया, जो निम्न प्रकार है :-

"12. We allow this appeal by setting aside the order of the High Court and upholding the order of the trial Court. We would again remind the

High Courts of their statutory obligation to not to interfere at the initial stage of framing the charges merely on hypothesis, imagination and far fetched reasons which in law amount to interdicting the trial against the accused persons. Unscrupulous litigants should be discouraged from protracting the trial and preventing culmination of the criminal cases by having resort to uncalled for and unjustified litigation under the cloak of technicalities of law."

7- दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात, मैं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाता हूं, अत: यह निगरानी याचिका खारिज की जानी चाहिये।

8- फलस्वरुप यह निगरानी याचिका खारिज की जाती है। लेकिन विचारण न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि इस प्रकरण की सुनवाई द्रुत एवं तीव्र गति से करें और डॉक्टर जी.आर.सिंघवी के बयान को सबसे पहले लेखबद्व करें तथा समस्त गवाहान के बयान को भी द्रुत एवं तीव्र गति से लेखबद्व करें। प्रार्थीगण जब कभी भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 216 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें तो उस प्रार्थना पत्र को नियमानुसार तुरन्त निस्तारित किया जावे। यदि सम्भव हो सके तो इस प्रकरण को तीन महीने में निस्तारित कर दिया जावे।

(महेशचन्द्र शर्मा)

न्यायाधिपति

/राम/